

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 700393/2016 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 11.07.2016

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—महेन्द्रसिंह पुत्र रामेश्वर राठौर उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड
नं० 10 गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्त

(आरोप अंतर्गत धारा-294, 324 भा०द०स०)

(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री महेश श्रीवास्तव)

निर्णय

(आज दिनांक 12-07-2017 को घोषित)

1. आरोपी पर दिनांक 28.05.16 को 9 बजे फरियादी उसमान खान के मकान के पास आम रोड पर बड़ा बाजार गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी उसमान खां को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने एवं उसी समय फरियादी उसमान खां की मारपीट कर उसे दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा०द०स० की धारा 294, एवं 324 के अंतर्गत आरोप है।
2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 28.05.16 को सुबह करीबन 9 बजे आरोपी महेन्द्र पानी का टेंकर लेकर आया था तो फरियादी उसमान खां पानी भरने गया था। आरोपी ने फरियादी को पानी भरने से मना कर दिया था इसी बात पर आरोपी महेन्द्र फरियादी उसमान खां को मां-बहन की गालियां देने लगा था जब उसने गाली देने से मना किया था तो आरोपी ने उसकी लात घूंसों से मारपीट की थी और उसके बांये हाथ के अंगूठे में दांतों से काट लिया था। मौके पर अनवर खान और अशरफ खान ने उसे बचाया था। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में की गयी थी। फरियादी की

रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में अप0क0 138/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे, आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
4. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान फरियादी उसमान खां द्वारा आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा0द0स0 की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध मात्र भा0द0स0 की धारा 324 के अंतर्गत विचारण शेष है।
5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ हैं:-
 1. क्या आरोपी ने दिनांक 28.05.16 को सुबह 9 बजे फरियादी उसमान खां के मकान के पास आम रोड पर बड़ा बाजार गोहद में फरियादी उसमान खां की मारपीट कर उसे दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी उसमान खां अ0सा01 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी उसमान खां अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक डेढ़ साल पहले सुबह 9-10 बजे की है। आरोपी महेन्द्र पानी का टैंकर लेकर आया था। वह पानी भरने गया था तो महेन्द्र ने पानी भरने से मना कर दिया था। इसी बात पर आरोपी महेन्द्र से उसका मुंहवाद हो गया था। महेन्द्र ने गाली गलौज कर दिया था। अन्य कोई बात नहीं हुई थी उसने इसी बात की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपी महेन्द्र ने उसकी मारपीट की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि महेन्द्र ने उसकी उंगली में दांतों से काट लिया था उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने अपनी रिपोर्ट प्र0पी-1 एवं पुलिस कथन प्र0पी-3 में आरोपीगण द्वारा मारपीट करने वाली बात बताई थी।

8. इस प्रकार फरियादी उसमान खां अ0सा01 ने अपने कथन में आरोपी से पानी भरने के उपर मुंहवाद हो जाना बताया है तथा यह भी बताया है कि आरोपी से गाली गलौज हुआ था अन्य कोई बात नहीं हुयी थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपी महेन्द्र ने उसकी मारपीट की थी एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि महेन्द्र ने उसकी उंगली में दांतों से काट लिया था।
9. इस प्रकार फरियादी उसमान खां अ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी द्वारा मारपीट करने के तथ्य से इंकार किया गया है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी ने झगड़े के दौरान फरियादी उसमान खां की मारपीट की थी एवं उसे दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
10. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
11. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 28.05.16 को सुबह 9:00 बजे फरियादी उसमान खां के मकान के पास आम रोड पर बड़ा बाजार गोहद में फरियादी उसमान खां की मारपीट कर उसे दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी महेन्द्र को साक्ष्य के अभाव में भा0द0सं0 की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
12. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।
13. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।
स्थान—गोहद
दिनांक :-12.07.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/—

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)